BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 23 नवम्बर, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त बोबी पुत्र हरगोविंद सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर सोझा थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2012 में थाना गुलावठी क्षेत्र निवासी एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 18.04.2012 को थाना गुलावठी पर मुअसं–127/12 धारा 376,354 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 03.07.2012 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 04 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 23.11.2024 को न्यायाधीश श्री वरूण मोहित निगम (मा0 न्यायालय एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त बोबी को 07 वर्ष का कारावास व 25,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री कुश कुमार व विजय शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।